

विषय :-राज्य कर्मचारियों का विदेश ट्रेनिंग, फैलेशिप या किसी अन्य कोर्सों के लिए जाना ।

क्या वित्तायुक्त राजस्व तथा अन्य प्रशासकीय सचिव, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के अशा0 क्रमांक 4476-राज-1 (3)-71, दिनांक 7-9-1971 की ओर ध्यान देंगे ?

2. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने खर्चों पर भी किसी विदेशों में जाना चाहे तो ऐसे मामले को भी रिज्यू किया जाए और मुख्य मन्त्री जी के आदेश प्राप्त किए जाएं ।

हस्ता/-

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) वित्तायुक्त राजस्व ।

(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 6144-राज-1(3)-71/ दिनांक चण्डीगढ़ 13 सितम्बर, 1971

पू0 क्र0 6144-राज-1 (3)-71/27194, दिनांक चण्डीगढ़ 13 सितम्बर, 1971

एक प्रति सभी विभागध्यक्षों को सरकार के प्र0 क्र0 4476-राज-1(3)-71/26450, दिनांक 7-9-71 के क्रम में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है ।

हस्ता/-

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।